कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 4261/2016 चंद्रा जेठानी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 द्वारा याचिकार्थी के प्रकरण को माननीय न्यायालय, मुख्यपीठ, जोधपुर द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6881/2015 चम्पालाल व्यास बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा डी.बी. स्पेशल अपील याचिका संख्या 821/2019 राज्य बनाम लक्ष्मीनारायण सोनी में मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से कवर्ड करते हुए याचिकार्थी के संबंध में पूर्व में शासन स्तर से जारी अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 11.01.2016 को अपास्त करते हुए याचिकार्थी श्रीमती चंद्रा जेठानी को पातेय वेतन प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापन की दिनांक 01.04.2005 से 30.06.2013 तक की अवधि के वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने एवं निर्धारित अवधि में उक्त लाभ प्रदान नहीं किए जाने पर प्रार्थिया को 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किए जाने एवं उक्त राशि के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में दोषी अधिकारियों से उक्त राशि वसूल किए जाने के आदेश प्रदान किए गए है।

पूर्व में चंद्रा जेठानी द्वारा पातेय वेतन प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापन अवधि के समस्त वित्तीय लाभ दिए जाने के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल याचिका संख्या 21703/2013 दायर की गई थी, जिसके क्रम में शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राज. सरकार द्वारा याचिकार्थी के अभ्यावेदन को विभागीय आदेश दिनांक 11.01.2016 द्वारा खारिज कर निस्तारित किया गया।

हस्तगत प्रकरण के संबंध में विभागीय स्थिति अनुसार कार्यालय हाजा के आदेश दिनांक 31.08.2001 द्वारा उप प्रधानाचार्य एव समकक्ष के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात आदेश दिनांक आदेश दिनांक 22.08.2003 एवं संशोधित आदेश दिनांक 29.08.2003 द्वारा याचिकार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पातेय वेतन पर कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापित किया गया जिसके अनुसंरण में याचिकार्थी द्वारा दिनांक 09.09.2003 को कार्यग्रहण किया गया। तदुपरांत याचिकार्थी को वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर कार्यालय हाजा के आदेश दिनांक 06.05.2013 द्वारा प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। याचिकार्थी ने प्रधानाचार्य के पद पर पातेय वेतन में पदस्थापन पर दिनांक 09.09.2003 को कार्यग्रहण किया। पातेय वेतन में उच्च पद के विरूद्ध पदस्थापन की कार्यव्यवस्थार्थ व्यवस्था थी, इसे पदोन्नति पर पदस्थापन की श्रेणी में नहीं माना जा सकता क्योंकि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2013 के अनुसार लाभ चयन वर्ष की प्रथम तिथि 01 अप्रैल से अथवा उस रिक्ति की दिनांक से जिसके प्रति उसे चयनित किया गया है, दिए जाने एवं वास्तविक लाभ चयनोपरांत पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त आदेश अनुसार श्रीमती चंद्रा जेठानी को नियमानुसार चयन वर्ष 2005–06 की प्रथम तिथि 01.04.2005 से प्रधानाचार्य पद के वेतनमान 9000–14400 में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम–26ए का लाभ प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण का परिकल्पित लाभ एवं डी.पी.सी. चयनोपरांत पदभार ग्रहण करने की तिथि 07.05.2013 से वास्तविक लाभ सक्षम अधिकारी से जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक अजमेर के आदेश दिनांक 19.12.2013 द्वारा नियमानुसार प्रदान किए गए हैं।

याचिकार्थी द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध दायर एस.बी.सिविल याचिका में पारित निर्णय का राज्य सरकार एवं विभागीय नियमों/परिपत्रों एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरणों चम्पालाल व्यास एवं लक्ष्मीनारायण सोनी में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6881/2015 श्री चम्पालाल व्यास व अन्य बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा याचिकार्थीगण के पक्ष में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया– "In view of the foregoing discussion all these writ petition are allowed and the respondents are directed to allow the petitioners; Champalal Vyas, Laxmi narayan soni and Gopal Das Soni, pay scale of the promotional post from the date they are performing duties of principal i.e. 30-11-2009, 20-09-2010 and 23-10-2009 respectively, with all consequential benefits including the pay fixation."

इसी प्रकार डी.बी. स्पेशल अपील याचिका संख्या 821/2019 राज्य बनाम लक्ष्मीनारायण सोनी में मान. न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया– "This court is of the opinion that no exception can be taken to the learned single judge' directions given that all the petitioners were eligible at the time when they were given temporary appointment; they did not fulfill the description or fall within the exception and most importantly all of them were eligible and could have been promoted with effect form the date they were made to officiate temporarily as principles. But for the fact that no DPC was held, all of them were subseqently selected through regularly constituted DPC. In these circumstances the denial of salary and all benefits to them from the date of their initial temporary appointment (having regard to their subsequent selection and appointment on regular basis against the vacancies for the earlier period), could not but be held to be arbitrary."

माननीय उच्च न्यायालय के डी.बी.स्पेशल संख्या 912/2019 राज्य बनाम चम्पालाल व अन्य तथा 02 अन्य अपीलों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 31.07.2019 के क्रम में शासन के पत्रांक प.17(221) माध्य/शिक्षा–2/विप्र/2015 दिनांक 02.06.2020 द्वारा निर्णय जारी कर उक्त डी.बी. अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 31.07.2019 के विरूद्ध शासन स्तर से आगे विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं किये जाने का स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गए हैं। वित्त विभाग द्वारा राय दिनांक 17.02.20 निम्नानुसार प्रदत्त है–

"AD is requested that in compliance of D.B Special Appeal (Writ) No. 1202\2019 State of Rajasthan Vs Sh. Siya Ram Sharma and 3 other Court judgments actual payment may be allowed during the period these employees have performed duties of the higher post for posting as Patey Vetan and the arrangement of patey vetan may not be linked with the DPC held later on. The fixation of pay on DPC may be made as per the provisions of the service rules, for the earlier period notional fixation is to be made and from the date of actual joining, actual payment on promotion through DPC may be allowed as per rules. The pay drawn as patey vetan against the higher post is not to be taken into account for the purpose of fixation of pay after selection through DPC and if pay on promotion through DPC is fixed on lower stage then the pay drawn as patey vetan, difference of patey vetan and pay fixed on promotion shall not be admissible as personal pay.This bears approval at competent level in FD."

वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय के पैरा–4 के अनुसार "The Fixation of pay on DPC may be made as per the provisions of the service rules, for the earlier period notional fixation is to be made and from the date of actual joining, actual payment on promotion through DPC may be allowed as per rules. The pay drawn as Patey Vetan against the higher post is not to be taken into account for the propose of fixation of pay after selection through DPC and if pay on promotion through DPC is fixed at lower stage then the pay drawn as Patey Vetan, difference of Patey Vetan and pay fixed on promotion shall not be admissible as personal pay."

उक्त के साथ ही वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(7)एफडी/रूल्स/2008 जयपुर दिनांक 30.07.13 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 23.02.2015 के अनुसार गत वर्षों की "विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पश्चातवर्ती वर्षों में होती है तो वेतन निर्धारण पदोन्नति वर्ष में पद रिक्ति की वास्तविक तिथि से नोशनल होगा तथा वास्तविक लाभ पदोन्नति पर कार्यग्रहण की दिनांक से देय होगा। अतः समस्त अभिलेखों एवं याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के परीक्षणोपरांत याचिकार्थी का वेतन वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय दिनांक 17.02.2020 तथा वित्त विभाग के आदेश एफ. 1(7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 30.07.2013 एवं दिनांक 23.02.2015 के प्रावधानानुसार निर्धारित किये जाने के आधार पर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हों।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/ए–2/एसबीसिया/चंद्रा जेठानी/4261/2016 दिनांकः 09.APR.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. श्रीमती चंद्रा जेठानी, सेवानिवृत प्रधानाचार्य को सूचनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)